

412

2017/00019

6/11

दरेक/प्रकार

11-5-17

आज मह पत्रावली राजस्व लोड अदालत/ कोर्ट डेम्प ग्राम पंचायत निजोर कुला पर पेश हुई। सभी पहकार उप नही होने के कारण राजीनामा की कार्रवाई नही हो सकी। पत्रावली प्रकृत दिनांक 27-7-17 को पेश हो

pm12

उपखण्ड अधिकारी सैण्ड
(असलीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत

12-7-17

आज मह पत्रावली राजस्व लोड अदालत डिम्प कोर्ट फौलोअप शिविर खखवारा पर पेश हुई। प्रतिवादी: वीरेन्द्र उर्फ/ अन्य पहकार वकजूदताकील उप नही। प्रतिवादी वीरेन्द्र को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आयजी संयुक्त खातेदारी की है। सभी पहकारों के समान हित निहित है। ग्रामहित में उभमपक्ष को जरिमे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता उचित समझना है। इतर: प्रथमा पक्ष निर्णित कर उभमपक्ष को जरिमे अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया बूलवाद के निह्कारण तब पाबंद किया जात है तथा दिनांक 18.01.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा बूलवाद के निह्कारण तब पुच्छ ही जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बूलवाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

pm12

उपखण्ड अधिकारी
सैण्ड